।। कार्यालय वृताधिकारी वृत कैलादेवी जिला करौली ।।

क्रमांकः– 1181 दिनांकः– 27.05.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
जिला करौली

विषयः– सी0एम0 हैल्पलाईन–181 परिवाद न0 05200677806265 दिनांक 18.05.2020 परिवादी द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी सपोटरा थाना सपोटरा जिला करौली के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि सी0एम0 हैल्पलाईन–181 परिवाद 05200677806265 दिनांक 18.05.2020 को परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी सपोटरा थाना सपोटरा जिला करौली द्वारा शिकायत दर्ज कराया गई कि दिनांक 18.05.2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका संस्करण जयपुर में प्रकाशित खबर शीर्षक सामूहिक भोज में शामिल हुये पुलिस प्रशासन के क्रम में इत्यादि परिवाद जॉच हेतु मन वृताधिकारी कैलादेवी को प्राप्त हुआ हैं।

दौराने जॉच परिवाद श्री ज्ञानेश कुमार निवासी सपोटरा थाना सपोटरा जिला करौली की जॉच रिपोर्ट थाना सपोटरा से प्राप्त हुई, जॉच रिपोर्ट में अंकित गया हैं कि

1. यह कि दिनांक 17.5.20 को समय 6.30 पी0एम0 पर व्यापार मण्डल अध्यक्ष सपोटरा श्री देवकीनन्दन द्वारा पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों का अभिनंदन करने एवं उनकी कुछ समस्याऐ प्रशासन के सामने रखने व सोशल डिस्टेनसिंग के बारे में संक्षिप्त जानकारी चिकित्सा विभाग द्वारा प्राप्त करने हेतु एक छोटा आयोजन रखा गया था।
2. यह कि उक्त लघु आयोजन में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं थानाधिकारी सपोटरा तथा चिकित्सा विभाग एवं प्रशासनिक विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी पहुचे थे, जिसमें करीब 12–15 कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित थे। आयोजन मैरिज गार्डन के काफी बडे मैदान में बिना टैण्ट एवं बिना फर्नीचर के रखा गया था जिसमें कस्बा सपोटरा के मुख्य दुकानदार भी उपस्थित थे। सभी को सोशल डिस्टेंसी का पालन कराते हुए दूर–दूर बिठाया गया था जिसमें चिकित्सा विभाग एवं पुलिस के कर्मचारियों का व्यापारियों द्वारा अभिनंदन किया गया। सम्पूर्ण आयोजन में करीब 20–22 लोग जिन्होन सोशल डिस्टेंसी की पूर्ण पालना की और आयोजन कुल लगभग 40 से 60 मिनट ही चला। संपूर्ण आयोजन मे किसी प्रकार का कोई टेंट नही लगा नाही कोई प्रतिभोज पार्टी रखी गई इस क्रम में दिनॉक 18.05.2020 के राजस्थान पत्रिका संस्करण मे जो वर्णन किया गया है इस प्रकार का कोई भोजन आदि का आयोजन नही था। राजस्थान पत्रिका के प्रकाशित उक्त पंक्ति के चित्रों को ही स्पष्ट रुप से गिनने पर भी 18–20 लोगो से ज्यादा कोई भीड नही है जिनमें सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पूर्ण पालन करते हुए समस्त उपस्थित लोगो द्वारा मॉस्क लगाये हुये थे व आयोजन के दौरान भी एक दूसरे से करीब 6 फिट की दूरी बनाई रखी गई थी ।
3. यह कि उक्त आयोजन में श्रीमान चिकित्सा अधिकारी द्वारा समस्त लोगो को बीमारी की गंभीरता एवं संक्रमण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी जिसमे किसी प्रकार का सामूहिक भोज नही रखा गया था इस संदर्भ में थानाधिकारी सपोटरा द्वारा दिनॉक 17.05.20 को अपनी वापसी रोजनामचा आम रपट में भी उल्लेख किया गया है प्रकाशित खबर में केवल आंशिक सत्यता है खबर पूर्ण सत्य नही है अतः जॉच रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ सेवा में पेश है ।

अतः परिवाद की जॉच रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

पुलिस उप अधीक्षक,
वृत–कैलादेवी